

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पर की

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता०

रैणु देवी

से

अंचल - बालूमाथ जिला - लातेहार

वाद संख्या -

31

/2022-23

तक

वाद का प्रकार

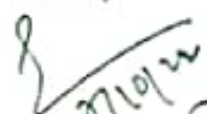
निविदावाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.8.2022	अवेदिका रैणु देवी पति केशरी चण्ड वसतमजी- बालूमाथ द्वारा आवेदन दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट बालूमाथ के काराखाना नं० 24 एस.सी.डी.डी. 266/267 रकबा 10.41 हेक्टेयर भूमि में निम्न 0.00 हेक्टेयर द्वारा अवैध दखल करवा रहा है। जिसमें सेक नं० 1 का अनुशेष किया गया है। के आलेख में वाद की आवश्यक प्रारंभ की जाती है। उक्त पक्ष की निविदा निविदा करें। उक्त पक्ष आपने अपने पत्राचार को बनाए रखें। उक्त वाद की अंतिम तिथि से उपस्थित रहें। अंतिम दिनांक 1.9.22 से उपस्थित करें।	निविदा वादः 18.8.2022 अंचल अधिकारी बालूमाथ

आदेश की क्र०सं० और तारीख	2
3.9.22	अभिलेख उपस्थित । उभय पक्ष उपस्थित । पुनः पक्ष उपस्थित । नतीज पक्ष उपस्थित । CS लाज-24 4 जी अति जा कहा है 6 जी अति जा भी कहा है 6 जी कहा जा रहे है नतीज पक्ष का कहा है कि इस को समझा के न्याया लय के लिए है । नतीज के लोक अति उप कहा है कारण के रूप में न्यायालय गला । अभिलेख तारीख 21.5.22 के हैं। 3.9.22 डी.ए.सी. बालूमाध
21.9.22	अभिलेख उपस्थित ; उभय पक्ष उपस्थित । पुनः पक्ष उपस्थित । नतीज पक्ष उपस्थित । वाद की प्रजली बुलाई 7.10.22 के तारीख । उभय पक्ष के नतीज निर्णय को 21.9.22 डी.ए.सी. बालूमाध

अगिलेखे उपस्थापित । उगत पक्ष उपस्थित ।
अधीहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कर्म में व्यस्त
रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी ।

अगिलेख 22.10.2022 को उपस्थापित करें।


अथल अधिपति
कालूभाय

22.10.22

अगिलेखे उपस्थापित । उगत पक्ष उपस्थित ।
अधीहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कर्म में व्यस्त
रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी ।

अगिलेख दिनांक 13.11.2022 को उपस्थापित करें।


अथल अधिपति
कालूभाय

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की
क्र०सं० और
तारीख

2

1

18.11.2022

अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित ।
उभय पक्ष की ओर से दूना यह निराद
मैला- बाबुमाल, C-5 ब्लाक-14, एनए-266
एलाबो में सभी लेबलकारी के बीच
विवाद फैल गई थी प्रिंसल हमीन C-5 ब्लाक-14,
एनए-266 का R-5 ब्लाक एवं एनए बंगलें
नाई ब्ला में उभय विभाग से दूना दस्तावेज
दिनांक 3.12.22 के होंगे

18.11.22
अंशुल अधिकारी
बाबुमाल

3-12-2022

अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित ।
अंशुल अधिकारी का आंच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने
के कारण ब्ला की सुनवाई नहीं हो रही । अभिलेख
दिनांक 30-12-2022 को उपस्थित उपस्थापित
करें।

अंशुल अधिकारी
बाबुमाल

12 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।
पक्षधरों के बीच सरकारी भूमि में गलत रहने के कारण
वाद की सुनवाई नहीं हो सके। अभिलेख दिनांक
21.01.2023 को उपस्थापित करें।


अथर्व अभिलेखी
बालूगंध

21.01.2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।

अथर्व अभिलेख का प्रमाणित प्राप्त है। उभय पक्ष
की बातों को सुना। प्रत्येक पक्षकार को दफा
दलाए जाते हैं। प्रमाणित किया है।
शासन कमी एवं अचल धर्मन जांच प्रमाणित
है। अभिलेख दिनांक 21.1.23 को दिलाए


अथर्व अभिलेखी
बालूगंध

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____

जिल - बालूमाथ जिला - तातेहार वाद संख्या- /2022-23

वाद का प्रकार _____

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई क वारे में तारीख
1	2	
01.01.2023	अभिलेख अप्रस्तुत। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्वकर्मी एवं अमीन अंचल अमीन का साथ प्रतिवेदन अप्राप्त है। वाद की सुनवाई नहीं हो सके। अभिलेख दिनांक 28.02.2023 के अप्रस्तुत करे। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
28.02.2023	अभिलेख अप्रस्तुत। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्वकर्मी एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सके। अभिलेख दिनांक 28.03.2023 के अप्रस्तुत करे। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित। अथ पक्ष उपस्थित।
उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष रणु देवी डाय
बिनीय पक्ष रत्ना साव वीरु में मुद्रित
न्यायालय नतिहाट में र. 5 16/12 उचालित
है। वाद की भर्खाई दायजित की गयी है।
माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात कार्रवाई
की जायेगी।

17.5.23
अध्यक्ष अधिकारी
न्यायालय